सम्पादिका

Dr.Sangh Mitra Baudh

त्रिपिटक से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में अनेक स्त्रियाँ सामाजिक जीवन से त्रस्त होकर धर्म की ओर अग्रसर हुई। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध स्त्रियों को प्रव्रज्या देने के पक्ष में नहीं थे। महाप्रजापति गौतमी और आनन्द के आग्रह पर उन्होंने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति दी। इसकी स्थापना के बाद जहाँ समृद्ध परिवारों की स्त्रियों ने भोग विलास से ऊपर उठकर संसार का परित्याग किया वहीं निर्धन तथा विपन्न परिवारों की स्त्रियों ने अपनी विपन्नता और सामाजिक मान्यता से त्रस्त होकर प्रव्रज्या ली। ऐसी स्त्रियों की भी संख्या कम नही थी, जिन्होंने व्यक्तिगत आघात या शोक के प्रभाव में सांसारिक जीवन की निस्सारता का अनुभव कर गृहस्थ जीवन का परित्याग किया। प्रारम्भ में भिक्षुणी–संघ के प्रायः प्रत्येक कार्य के सम्पादन में भिक्षुओं का सहयोग अपरिहार्य था। यहाँ तक कि अभिक्षु आवास में भिक्षुणियों का वास भी सम्भव न था। उपसम्पदा क्रम में अपने से छोटे भिक्षु के प्रति भी श्रद्धा–वन्दन अनिवार्य था। भिक्षुओं के समान थे, पर चतुर्निश्रय के स्थान पर उनके लिए तीन निश्रय ही प्रस्तावित किए गए थे। वस्तुतः उनके लिए आरण्यक–शयनासन अथवा वृक्षमूलिक होना अनुमत नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि भिक्षुणी संघ का अलग अस्तित्व था और विकसित अवस्था में भिक्षुणियां अपने संघ में ही प्रश्न पूछतीं और उत्तर पाती थीं, पर उनका प्रमुख भी भिक्षु संघ का ही प्रमुख हुआ करता था। भिक्षुओं के समान भिक्षुणियों के भी बुद्ध ही सर्वस्व थे। संघ में प्रवेश के लिए कुमारी या विवाहिता होने का कोई बन्धन नहीं था। पर इसके लिए नारी सुलभ अन्तर भी था। यथा–कोई विवाहित स्त्री अपने पति की आज्ञा से ही, या उसकी मृत्यु के बाद संघमें प्रवेश पा सकती थी। साथ ही उसके लिए यह भी आवश्यक था कि वह बारह वर्ष की न्यूनतम वैवाहिक अवधि पूरी कर चुकी हो। 20 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के लिए के लिए प्रव्रज्या पाना सम्भव नहीं था। उपसम्पदा की इच्छुक किसी भी स्त्री के लिए दो वर्षावास तक शिक्षमाणा का जीवन व्यतीत करना आवयक था। उपसम्पदा के समय उसे 24 अन्तरायी दोष का पालन भिक्षुओं के समान ही करना पड़ता था।

भिक्षुणियों को रहन–सहन और धर्मपालन की शिक्षा देने का कार्य भिक्षुओं का था। रोगी, गमिक, मूढ़ जैसे भिक्षुओं को छोड़ सभी भिक्षुओं को भिक्षुणियों के अनुरोध पर उपदेश देने की बात को स्वीकार करना आवश्यक था, अन्यथा वे दोष केभोगी होते। यदि पूरे संघ को कोई लाभ–सत्कार मिलता तो भिक्षु–भिक्षुणी संघ दोनों को बराबर हिस्सा दिया जाता था, भले ही एक ही भिक्षुणी क्यों न हो। त्रिपिटक से ज्ञात होता है कि सद्धर्म में भिक्षुओं की तुलना में

भिक्षुणियों की स्थिति निम्न थी। पर व्यवहारतः वे श्रमणत्व का सर्वोच्च फल, अर्हत्व, लाभ करते भी वर्णित है। कई भिक्षुणियों को स्वयं बुद्ध अतिप्रशंसित दृष्टि से देखते थे और कई को उन्होंने भिक्षुणियों में श्रेष्ठतम स्थान प्रदान किया था। खेमा नामक भिक्षुणी अपनी मेघा के लिए सर्वविदित थी। अधिकांशतः धर्मिक–आध्यात्मिक लक्ष्य की परिपूर्ति हेतु स्त्रियों ने सांसारिक जीवन के सुखों का परित्याग कर सांघिक जीवन में प्रवेश किया था। अतः भिक्षुणियों के रूप में उनका जीवन अतिसरल, संयमित एवं त्यागमय था। बुद्ध के द्वारा स्त्रियों का संघ में प्रवेश की अनुमति एक युगांतकारी घटना थी। प्रव्रज्या प्राप्त स्त्रियाँ थेरी कहलाती थी, जिन्होंने कविता में अपनी गाथाएँ लिखी। थेरी गाथाऐं तत्कालीन समाज में स्त्री की स्थिति की समझ के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है।